


न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - डॉ. इंद्रजीत यादव (आई.ए.एस.)

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 44/2025 (जीरीएमएस 2025/107) राज्य बनाम शेख हमीद वगैरह</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p>
<p>18-08-2025</p>	<p>उपस्थित -</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री शोयब शेख, अधिवक्ता श्रीमती किरण मीणा, अभियोजन अधिकारी <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p style="text-align: right;">दिनांक 18-08-2025</p> <p>उक्त प्रार्थना पत्र वाहन स्वामी प्रार्थी सेवादरराम पिता नेकराम निवासी नियर धर्मशाला हरनाम सिंह वाला, पोस्ट फुल, जिला भटिण्डा, पंजाब के वाहन बोलेरो पिकअप FB 1.5 T BSIV PS महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कंपनी प्रा.लि. रजिस्ट्रेशन सं. PB02 DN 6496 जो भार साधक अधिकारी, पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 103/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम एवं धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत जब्त किया था को सुपूर्दगी बाबत प्रस्तुत किया है।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा से वाहन के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>दिनांक 14.08.2025 थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा की रिपोर्ट मय अनुसंधान पत्रावली के साथ प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश बैल चारे एवं पानी के अभाव में कमजोर स्थिति में तथा कुछ बैल घायल पाये गये। प्रकरण में जुर्म अन्तर्गत धारा 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम एवं धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 अनुसंधानरत है। इस वाहन के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।</p> <p>हस्तगत प्रकरण के पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 103/2025 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश फरमाया जाकर जब्तशुदा वाहन को अधिहरण किया जावे।</p> <p>इस पर वाहन स्वामी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त</p>	

24

वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपूर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गौवंश परिवहन नहीं किया जा रहा था, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या **PB02 DN 6496** को रिलीज कराने की कृपा करावे। इसी इशतदुआ के साथ वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली वास्ते आदेश रिजर्व की गई।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरण में पुलिस की रिपोर्ट अनुसार वाहन में 2 गौवंश (बैल) भरकर परिवहन करना बताया है। वाहन में गौवंश परिवहन हेतु आवश्यक न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं यथा चारे-पानी, चिकित्सा किट, मवेशियों को चोट से बचाने हेतु सुरक्षा गद्दी (पेडिंग) इत्यादि का अभाव पाया गया है। अधिकांश बैल चारे एवं पानी के अभाव में कमजोर स्थिति में तथा कुछ बैल घायल पाये गये। वाहन चालक/ वाहन स्वामी द्वारा गौवंश परिवहन सम्बन्धित वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।

इस प्रकार प्रकरण में असुरक्षित तरीके से गौवंश परिवहन किया जा रहा था, जिससे परिवहनरत गौवंश पर शारीरिक पीडा एवं गम्भीर क्षती कारित हुई है। इस कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत होना दर्शित है।

हमने संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों का चिंतन एवं मनन किया। संशोधित अधिनियम की 2018 की धारा 6 (क) की उपधारा (2) में उपधारा (1) निर्दिष्ट प्रवहण के ऐसे, साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह तय किया जा सके कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्व में इस परन्तुक के अधिन विकल्प दिया जा चुका है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हस्तगत पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 103/2025 धारा 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण के संबंध में वाहन स्वामी सेवादरराम पिता नेकराम निवासी नियर धर्मशाला हरनाम सिंह वाला, पोस्ट फूल, जिला भटिण्डा, पंजाब द्वारा जुर्माना राशि रुपये 15000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपया मात्र के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **PB02 DN 6496** को रुपये 500000/- अक्षरे पाँच लाख रुपया मात्र की जमानतनामा एवं सुपूर्दगीनामा पर निम्नानुसार विहित शर्तों -

1. सक्षम न्यायालय में दौरान सुनवाई उक्त वाहन किसी अन्य को अन्तरित या हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।
2. सक्षम न्यायालय में दौरान सुनवाई वाहन के रंग रोगन और मॉडल में परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जावेगा।
3. सक्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त वाहन तलब किये जाने पर वाहन स्वामी/ सुपूर्ददार स्वयं के खर्च पर उक्त वाहन माननीय न्यायालय में पेश करेगा।

उपरोक्तानुसार शर्तों पर सुपूर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया

जाता है। संबंधित वाहन स्वामी द्वारा आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/ रसीद व अपेक्षित जमानतनामा व सुपूर्दगीनामा एक माह की अवधि में प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **PB02 DN 6496** को नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराया जावे। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-08-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. इद्रजीत यादव)
जिला कलेक्टर
बांसवाडा (राज.)